आर. एन. आर.

एम. एम. कुंतर और रितु बाहरी के समक्ष , *जे. जे.*

अश्वनी कुमार कौशिक और अन्य, याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा लोक सेवा आयोग
& अन्य,—*उत्तरदाता*

एलपीएनो। (i) वर्ष 2010 का सं 555 आईएनसीडब्ल्यूपी 2009 की संख्या 17276

11 नवम् बर, 2010

भारत का संविधान, 1950—अनुच्छेद 226—एच.पी.एस.सी. सहायक अभियंताओं के विज्ञापन पद - आवश्यक योग्यता - न्यूनतम 60% अंकों के साथ एएमआईई डिग्री - एससी वर्ग के लिए आयोग 55% अंकों में छूट - क्या अन्य आरक्षित श्रेणियां भी अंकों में छूट की हकदार हैं - आयोजित, नहीं - क़ानून में विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, नहीं किसी भी श्रेणी के उम्मीदवार को सार्वजनिक नियुक्तियों में मानकों में ढील का लाभ दिया जा सकता है-अपील खारिज।

माना गया कि क़ानून में किए गए विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, किसी भी श्रेणी के किसी भी उम्मीदवार को सार्वजनिक नियुक्तियों में मानकों में ढील का लाभ नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान मामले में, इसके संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यहां तक कि अनुच्छेद 335 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 16(4) और 16(4 ए) के प्रावधान भी केवल सक्षम प्रावधान हैं जो राज्य को केवल निर्दिष्ट वर्गों के पक्ष में इस तरह के आरक्षण या छूट प्रदान करने के लिए स्पष्ट रूप से तैयार करते हैं। यदि राज्य ने आरक्षण का प्रावधान नहीं किया है तो राज्य को ऐसा कोई कानून बनाने के लिए बाध्य करने वाला कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। किसी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में भूतपूर्व सैनिक को आरक्षित श्रेणी में शामिल करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए, यह तर्क कि विज्ञापन में प्रयुक्त

अभिव्यक्ति 'आरक्षित श्रेणी' की व्याख्या पूर्व सैनिकों या शारीरिक रूप से विकलांगों को शामिल करने के लिए की जानी चाहिए, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 11)

अपीलकर्ताओं की ओर से आर.के. मलिक, वरिष्ठ अधिवक्ता, आशीष पन्नू, अधिवक्ता।

(1) एन. मेहतानी, वकील, प्रतिवादी नंबर 1-हरियाणा लोक सेवा आयोग के लिए।

नरेंद्र हुडा, वकील, प्रतिवादी क्रमांक 2 से 5 (2010 के एलपीए क्रमांक 555 में) और प्रतिवादी क्रमांक 7 से 10 (2010 के एलपीए क्रमांक 556 में) के लिए।

एम. एम. कुमार, जे.

(2) यह आदेश 2010 के एल.पी.ए. संख्या 555 और 556 का निपटान करेगा, जिन्हें याचिकाओं के एक समूह में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए 5 अप्रैल, 2010 के आम फैसले के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत प्राथमिकता दी गई है। इन अपीलों में उठाया गया प्राथमिक प्रश्न यह है कि क्या विज्ञापन दिनांक 3 जून, 2009 में इस्तेमाल की गई अभिव्यक्ति 'आरक्षित श्रेणियां' में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा हरियाणा राज्य से संबंधित पूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग जैसी अन्य श्रेणियां शामिल होंगी। ”। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह विचार किया है कि इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को छोड़कर उपरोक्त किसी भी वर्ग को शामिल नहीं किया जाएगा।

(3) 2010 के L.P.A.No.555 से देखे गए निर्विवाद तथ्य यह हैं कि 3 जून, 2009 को हरियाणा लोक सेवा आयोग (संक्षिप्तता के लिए, 'आयोग' ने एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल), सहायक अभियंता के विभिन्न पदों का विज्ञापन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स), सहायक अभियंता (मैकेनिकल) और सहायक अभियंता (सिविल), जो हरियाणा पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएन), हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (एचवीपीएनएल) में रिक्त थे। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएनएल)। रिक्तियों की संख्या दर्शाने वाली तालिका में, पदों को (i) सामान्य; (ii) हरियाणा की अनुसूचित जाति; (iii) हरियाणा का पिछड़ा वर्ग; (iv) श्रेणियों के अंतर्गत दिखाया गया है।) हरियाणा के पूर्व सैनिक; और (v) हरियाणा की शारीरिक विकलांगता। सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल) और सहायक अभियंता (इलेक्ट्रॉनिक्स) के पदों के लिए निम्नलिखित आवश्यक योग्यताएं निर्धारित की गई थीं:

(4) सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल):

(i) इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री

न्यूनतम 60% अंकों (SCofHry के लिए 55% अंक) के साथ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन/एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स या समकक्ष योग्यता।

(ii) मैट्रिक तक हिंदी या संस्कृत।

2. सहायक अभियंता (इलेक्ट्रॉनिक्स):-

(i) इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री

और कम से कम 60% अंकों (55%) के साथ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन/एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान से संचार/इलेक्ट्रॉनिक्स

और टेली-संचार/इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल संचार/इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रुमेंटेशन या समकक्ष योग्यता। हरियाणा के एससी के लिए अंक)।

(ii) मैट्रिक तक हिंदी या संस्कृत।

(3) विज्ञापन में दिए गए नोट-I के अनुसार भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के पास प्रत्येक पद के अनुसार निर्दिष्ट स्नातक की डिग्री होनी भी आवश्यक थी। नोट-II के तहत यह निम्नानुसार निर्धारित किया गया था:-

"नोट:-II:

निर्धारित आवश्यक योग्यताएं न्यूनतम हैं और उनके पास होने मात्र से कोई उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं हो जाता। जहां विज्ञापन के जवाब में प्राप्त आवेदनों की संख्या बड़ी है और आयोग के लिए इन सभी उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेना सुविधाजनक या संभव नहीं होगा, आयोग योग्यता और अनुभव के आधार पर साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की संख्या को उचित सीमा तक सीमित कर सकता है। विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम से अधिक या स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करके या आयोग द्वारा तैयार की गई किसी भी विधि से।

(4) यह स्वीकार किया गया है कि सभी याचिकाकर्ता-अपीलकर्ता भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के हैं। इन सभी ने AMIE के अपने डिग्री पाठ्यक्रम में 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं। विज्ञापन के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग के लिए मानक में छूट दी गई है। यदि पूर्व सैनिकों को आरक्षित श्रेणी में माना जाता है तो वे पात्र हैं क्योंकि उनके पास 55% या अधिक अंक हैं। 2010 के एल.पी.ए. नंबर 555 में अपीलकर्ता नंबर 1 और 2 के पास क्रमशः 56% और 57% अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में एएमआईई की डिग्री है, जबकि 2010 के एल.पी.ए. नंबर 556 में अपीलकर्ता के पास 57.36% के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एएमआईई की डिग्री है। निशान। उक्त डिग्रियां निर्विवाद रूप से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री के समकक्ष हैं।

(5) अपीलकर्ताओं ने पूर्व सैनिक की श्रेणी के तहत उक्त विज्ञापन के जवाब में आवेदन किया। याचिकाकर्ता अपीलकर्ताओं की शिकायत यह है कि उनकी उम्मीदवारी को भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आरक्षित पदों के खिलाफ नहीं माना गया है क्योंकि उनके पास 60% अंकों के साथ डिग्री नहीं है। तदनुसार, याचिकाकर्ता-अपीलकर्ताओं ने 2009 की सी.डब्ल्यू.पी संख्या 17276 और 173 72 दायर की। समान स्थिति वाले उम्मीदवारों द्वारा कई अन्य याचिकाएं भी दायर की गईं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने 5 अप्रैल, 2010 के एक सामान्य आदेश द्वारा रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। फैसले के पैरा 14 में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नानुसार कहा है: -

"14. सी.डब्लू.पी. में याचिका 2009 की संख्या 17276 उन अभ्यर्थियों से संबंधित है जिनके पास एएमआईई था, जो इंजीनियरिंग के बराबर है

डिग्री लेकिन याचिकाकर्ताओं की अयोग्यता इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि उनके पास उस पाठ्यक्रम में आवश्यक न्यूनतम 60% अंक नहीं थे। एएमआईई उम्मीदवारों के अंक 60% से कम होने के बावजूद 55% से अधिक अंक हैं और तर्क यह है कि एक कार्यालय आदेश द्वारा, जो 26 अगस्त, 2003 को हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम द्वारा जारी किया गया था, सीधी नियुक्ति के लिए योग्यता तय की गई थी। सामान्य वर्ग के लिए 60% और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 55%। लोक सेवा आयोग द्वारा बाद में जारी विज्ञापन में केवल हरियाणा की अनुसूचित जातियों को 55% अंकों तक छूट प्रदान की गई थी और अन्य आरक्षित श्रेणियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। लोक सेवा आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का तर्क होगा कि विज्ञापन संभावित नियोक्ताओं द्वारा की गई मांगों के अनुसार जारी किया गया था और यदि उन्होंने स्वयं सामान्य श्रेणी के लिए न्यूनतम 60% अंकों का प्रावधान किया था और केवल अनुसूचित वर्ग के लिए छूट प्रदान की थी। जाति वर्ग, लोक सेवा आयोग को हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम द्वारा जारी कार्यालय आदेश के संदर्भ में ऐसी शर्त में एकतरफा छूट देने की अनुमति नहीं होगी। जबकि आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम अंकों में छूट का प्रावधान कानूनी रूप से स्वीकार्य हो सकता है (देखें हरिदास परसेडिया बनाम उर्मिला शाक्य एआईआर 2000 एससी 278), मेरे विचार में, शैक्षिक योग्यता से संबंधित छूट का प्रावधान किसी भी तरह से लागू करने योग्य अधिकार नहीं है जब तक कि यह विशेष रूप से नियोक्ता द्वारा प्रदान

किया जाता है। काल्पनिक रूप से, यदि कोई नियोक्ता आरक्षित श्रेणी के संदर्भ में भी अंकों में कोई छूट नहीं देना चाहता है, तो इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता है। आरक्षण केवल पदों की संख्या के लिए होगा और अंकों में छूट देने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि किसी सरकारी अधिसूचना द्वारा कोई विशिष्ट निर्देश न दिया गया हो। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को 26 अगस्त 2003 के कार्यालय आदेश का भी लाभ नहीं मिल सकता है।"

(6) याचिकाकर्ता-अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील एमई आर. पूर्व सैनिकों जैसे अन्य वर्गों को शामिल करने का इरादा नहीं था, उन्होंने पंजाब राज्य बिजली बोर्ड इंजीनियर्स (इलेक्ट्रिकल) भर्ती विनियम, 1965 (एचपीजीसीएल, यूएचबी वीएनएल, एचवीपीएनलैंडडीएचबीवीएनएल जैसे संगठनों पर लागू) में संशोधन अधिसूचना जारी करके स्थिति स्पष्ट कर दी है।). अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने एचपीजीसीएल द्वारा जारी 23 अप्रैल, 2007 की एक अधिसूचना पर भरोसा किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सहायक इंजीनियरों की सीधी भर्ती के लिए 55% न्यूनतम योग्यता अंकों के लाभ का मानदंड केवल अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों तक ही सीमित रहेगा। तदनुसार, एचपीजीसीएल के लिए उपरोक्त खंड को स्पष्टीकरण के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। श्री मलिक ने आगे कहा कि जहां भी उनका पूर्व सैनिकों जैसे अन्य वर्गों को बाहर करने का इरादा नहीं था, अधिसूचना जारी करके कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इस संबंध में विद्वान वकील ने डीएचबीवीएनएल द्वारा जारी 7 अगस्त, 2009 की अधिसूचना, यूएचबीवीएनएल द्वारा जारी 3 जून, 2009 और 9 जनवरी, 2006 की अधिसूचनाओं पर भरोसा जताया है। श्री मलिक का तर्क यह प्रतीत होता है कि सहायक अभियंता के पद पर सीधी भर्ती के लिए 55% न्यूनतम योग्यता अंकों का लाभ देने के उद्देश्य से भूतपूर्व सैनिकों को 'आरक्षित श्रेणी' में शामिल करने का विधायी इरादा है और इसलिए याचिकाकर्ता- अपीलकर्ता जिनके पास 55% या 55% से अधिक अंक हैं लेकिन सामान्य श्रेणी के लिए 60% से कम अंक हैं, वे अर्हता प्राप्त करेंगे और उनके पक्ष में एक निर्देश जारी किया जाना चाहिए। श्री मलिक ने आगे तर्क दिया कि छह पद खाली पड़े हैं यानी डीएचबीवीएनएल में 1 पद, एचपीजीसीएल में 2 पद और एचवीपीएनएल में 3 पद और इसलिए, शिथिल मानक लागू करके इन पदों को याचिकाकर्ता-अपीलकर्ताओं को पेश किया जाना चाहिए।

(7) डीएचबीवीएनएल, एचपीजीसीएल और एचवीपीएनएल के विद्वान वकील श्री नरेंद्र हुडा ने बताया कि 'आरक्षण' शब्द की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 335 के प्रावधानों के संदर्भ में की जानी चाहिए, विशेष रूप से इसके लिए शिथिल मानक प्रदान करने के संदर्भ में। 'आरक्षित श्रेणी'. अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए, विद्वान वकील ने बताया कि संविधान का अनुच्छेद 16(4) 'आरक्षण7' से संबंधित है।

नियुक्ति के मामलों में जबकि अनुच्छेद 335 किसी भी परीक्षा में योग्यता अंकों में छूट या मूल्यांकन के मानक को कम करने से संबंधित मामले से संबंधित है। श्री हुडा ने हमारा ध्यान वस्तुओं और कारणों के विवरण की ओर आकर्षित किया है जिसके लिए अनुच्छेद 335 के प्रावधान को शामिल करते हुए संविधान में 82वां संशोधन किया गया था। वस्तुओं और कारणों की स्थिति के अवलोकन से पता चलता है कि अनुच्छेद 335 का प्रावधान किस कारण से जोड़ा गया था विनोद कुमार बनाम भारत संघ (1) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय। संविधान में संशोधन की आवश्यकता का कारण यह था कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए भी अनुच्छेद 335 द्वारा कोई शिथिल मानक प्रदान नहीं किया गया था और एस विनोद कुमार के मामले (सुप्रा) में फैसले ने संविधान के अनुच्छेद 335 की व्याख्या की थी। इसका मतलब यह है कि राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य के लिए कोई भी छूट मानक प्रदान करने में सक्षम नहीं था। संविधान (बयासीवाँ संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा, अनुच्छेद 335 में प्रावधान जोड़ा गया था, जिससे राज्यों या भारत संघ को किसी भी परीक्षा में योग्यता अंकों में छूट प्रदान करने या पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए मूल्यांकन के मानक को कम करने में सक्षम बनाया गया। संघ या राज्य के मामलों के संबंध में सेवाओं या पदों का कोई वर्ग या वर्ग। श्री हुड्डा ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह यह दिखाने के उद्देश्य से प्रावधान पर भरोसा कर रहे थे कि किस श्रेणी के उम्मीदवारों को 'आरक्षित श्रेणी' का उम्मीदवार माना जा सकता है, हालांकि प्रावधान पदोन्नति के मामलों में छूट की बात करता है। विद्वान वकील के अनुसार इसमें केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के

सदस्य शामिल होंगे और इसमें पूर्व सैनिक शामिल नहीं होंगे। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया है कि अभिव्यक्ति 'आरक्षित श्रेणियां' किसी भी मामले में अपीलकर्ताओं को शामिल नहीं करेगी। परंतुक इस प्रकार पढ़ता है:

"बशर्ते कि इस अनुच्छेद में कोई भी बात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पक्ष में किसी भी परीक्षा में अर्हक अंकों में छूट या मूल्यांकन के मानकों को कम करने, किसी भी पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। संघ या राज्य के मामलों के संबंध में प्रेषकों या पदों का वर्ग या वर्ग।"

(8) श्री हुडा द्वारा दी गई दलील से ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुच्छेद 335 के प्रावधानों के अलावा किसी भी परीक्षा में अर्हता अंकों में छूट प्रदान करने या मूल्यांकन के मानक को कम करने के उद्देश्य से भूतपूर्व सैनिकों को अनुसूचित जाति की आरक्षित श्रेणी में शामिल करने की कोई संभावना नहीं है। .

उन्होंने प्रस्तुत किया है कि आरक्षण के प्रयोजन के लिए विज्ञापन के साथ-साथ विभिन्न निगमों/निगमों द्वारा जारी अधिसूचनाओं पर लागू प्रावधान को इस अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के अलावा कोई भी श्रेणी अभिव्यक्ति आरक्षित श्रेणी में शामिल नहीं होगी। '.

(9) आयोग के विद्वान वकील श्री एच.एन. मेहतानी ने फैसले के पैरा 14 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का समर्थन किया है। विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि कोई उम्मीदवार शैक्षिक योग्यता या अंकों के प्रतिशत में छूट का अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है जब तक कि वह कानून के एक टुकड़े या व्याख्या की प्रक्रिया द्वारा कवर नहीं किया जाता है, इस तरह के निष्कर्ष पर न्यायालय पहुंच जाता है।

(10) हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और उनकी सक्षम सहायता से पेपर बुक का अध्ययन किया है।

(11) विद्वान वकील को सुनने के बाद और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए आक्षेपित निर्णय को समझने के बाद हमारा मानना है कि क़ानून में किए गए विशिष्ट प्रावधान के अभाव में, किसी भी श्रेणी के किसी भी उम्मीदवार को इसका लाभ नहीं दिया जा सकता है। सार्वजनिक नियुक्तियों में मानकों में ढील दी गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस विनोद कुमार के मामले (सुप्रा) में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (2) में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि यह निर्धारित करने की अनुमति है अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कम योग्यता अंक या मूल्यांकन, यदि यह प्रशासन की दक्षता और सीधी भर्ती के मामले में संबंधित कार्यालय से जुड़े कर्तव्यों की प्रकृति के अनुरूप है। लेकिन पदोन्नति के मामले में ऐसा पाठ्यक्रम स्वीकार्य नहीं था क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 335 आदि में कोई सक्षम प्रावधान नहीं था।

एस विनोद कुमार (सुप्रा) और इंदिरा साहनी के मामले (सुप्रा) में दिए गए निर्णय केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आरक्षित श्रेणियों से संबंधित हैं, लेकिन अपीलकर्ताओं की तरह पूर्व सैनिकों के सदस्यों के लिए समान लाभ देने की कोई गुंजाइश नहीं है। , या तो अप्रत्यक्ष भर्ती या पदोन्नति से संबंधित मामले। श्री नरेंद्र हुडा का तर्क सराहनीय है और इसे केवल इस सीमा तक ही स्वीकार किया जा सकता है कि किसी अन्य श्रेणी (ओबीसी/एससी/एसटी को छोड़कर) के सदस्यों को मानकों में छूट का लाभ नहीं दिया जा सकता क्योंकि अनुच्छेद 16(4), 16 82वें संशोधन के बाद (4ए) और 335 केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को सीधी भर्ती और पदोन्नति के मामलों में ऐसी रियायत देने की बात करते हैं। यह संदिग्ध है कि क्या विधायिका पूर्व सैनिकों या शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों जैसे किसी अन्य वर्ग को ऐसा कोई लाभ दे सकती है। हालाँकि, वर्तमान मामले में इसके संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यहां तक कि अनुच्छेद 335 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 16(4) और 16(4ए) के प्रावधान भी केवल सक्षम प्रावधान हैं जो राज्य को केवल निर्दिष्ट वर्ग के पक्ष में इस तरह के आरक्षण या छूट प्रदान करने के लिए स्पष्ट रूप से तैयार करते हैं। यदि राज्य ने आरक्षण का प्रावधान नहीं किया है तो राज्य को ऐसा कोई कानून बनाने के लिए बाध्य करने वाला कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। किसी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में भूतपूर्व सैनिक को आरक्षित श्रेणी में शामिल करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए, श्री मलिक का यह तर्क कि विज्ञापन में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'आरक्षित श्रेणी' की व्याख्या पूर्व सैनिकों या शारीरिक रूप से विकलांगों को शामिल करने के लिए की जानी चाहिए, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(12) हम आगे पाते हैं कि दूसरे पहलू पर छूट का दावा अधिकार के मामले के रूप में नहीं किया जा सकता है, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने हरिदास परसेडिया बनाम मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर सही राय दी है। उर्मीला शाक्य, (3). इसलिए, हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।

(13) उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, ये अपीलें विफल हो जाती हैं और तदनुसार खारिज कर दी जाती हैं। इस आदेश की एक फोटोकॉपी संबंधित मामले की फाइल पर लगाई जाए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयर्ण वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा मेंइसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णयर्ण का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुकत रहेगा ।

Checked By:

Prerna Arya

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy

Chandigarh